## आवास वित्त कंपनियों के लिए विशेष सावधि जमा योजना

राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास वित्त कंपनियों के लिए विशेष जमा योजना शुरू की है । इस योजना को क्रिसिल द्वारा 'एफएएए' और फिच द्वारा 'एएए' की रेटिंग दी गई है जो वित्तीय दायित्वों का समय पर भुगतान के बारे में उच्चतम सुरक्षा दर्शाती है । यह जमा योजना उन आवास वित्त कंपनियों के लिए ही खुली है जो सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार करती हैं । योजना के तहत रा.आ.बैंक में जमा राशि राष्ट्रीय आवास बैंक की धारा 29बी(2) के तहत एसएलआर अपेक्षाओं के लिए पात्रता निवेश होगा ।

योजना के तहत न्यूनतम जमा राशि 25,00,000/- रु. (पच्चीस लाख रुपये) और उसके बाद 5,00,000/- रु. (पांच लाख रुपये) के गुणकों में स्वीकार की जाएगी । इसमें अधिकतम 5,00,00,000/- रु. (पांच करोड़ रुपये) तक जमा कर सकते हैं लेकिन उसके लिए रा.आ.बैंक से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है । जमा अवधि 18 मास से 60 मास तक है । जमा पर ब्याज दरें निम्नानुसार होंगी :

| **मौजूदा ब्याज दरें** | | **संशोधित ब्याज दरें (31.11.2009 से लागू)** | |
|---|---|---|---|
| **अवधि** | **ब्याज दर* (% में प्रति वर्ष)** | **अवधि** | **ब्याज दर* (% में प्रति वर्ष)** |
| 18 माह से 2 वर्ष | 7.25 | 18 माह से 2 वर्ष | 6.00 |
| 2 वर्ष से 3 वर्ष | 7.25 | 2 वर्ष से 3 वर्ष | 6.00 |
| 3 वर्ष से 5 वर्ष | 7.25 | 3 वर्ष से 5 वर्ष | 6.00 |

* ऊपर उल्लिखित ब्याज दरें फिलहाल तिमाही आधार पर परिकलित हैं । रा.आ.बैंक को नई जमाओं पर किसी भी समय उपर्युक्त दरों को परिवर्तित/संशोधित करने का अधिकार होगा ।

किसी अन्य जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए कृपया रा.आ.बैंक संसाधन विभाग से सम्पर्क करें (फोन नं. 011-24617832)